BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

GWALIOR

IIII/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/6302

Case No. /2017 Revision

Petitioner

श्री आर.पी. सेन द्वारा आज 26-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04.01.18 नियत।

26-12-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. Sandeep Kumar, S/o- Shri Ganga Vishan
2. Anup Kumar, S/o- Shri Ganga Vishan
3. Ganga Vishan, S/o- Shri Narayan Prashad

All are R/o- Panwadihaat, Tehsil- Aron, District Guna

Vs

Respondents

1. State of Madhya Pradesh through Sub Divisional officer ~~Gohad District Bhind~~ Aron Distt Guna
2. Herprashad, S/o- Shri Bhagwan Singh, Cast Brahmin, R/o- Panwadihaat, Tehsil- Aron, District Guna.

26.12.17
शाखा प्रभारी (रा.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

--2

(6)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III/निग./गुना/भू.रा./2017/6302. जिला–गुना

स्थान तथा दिनांक	संदीप कार्यवाही तथा आदेश म0प्र0शासन एवं हरप्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	आवेदक की ओर से श्री आर0एस0 सेंगर अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 04.12.2017 का अवलोकन कर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित न करते हुए प्रकरण में मात्र धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है जहां पर उपभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का समुचित अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपना–अपना पक्ष समर्थन कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की भी कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं ठोस आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राहय किया जाता है। प्रकरण दा0रिकार्ड हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	